कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर

ई-मेल- ee.cd2bsr@gmail.com कार्यालय दूरभाष नं0-05732-298020

पत्रांक: ....

दिनांक ....

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

विषयः- मै0 भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिकन्द्राबाद आबादी भाग (अ0जि0मा0) के गाटा सं0-1233, ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में मध्य रेखा से बांयी ओर नवीन रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक- 239(4)/शस्त्र लिपिक द्वितीय दिनांक 14.02.2020

कृपया उपरोक्त विषयक अपने उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने कृपा करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा सिकन्द्राबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 5 (चैनेज 4.800) में गाटा सं0 1233 में स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अपेक्षा की है।

मुख्य अभियन्ता, मे0क्षे0, लो0नि0वि0, मेरठ द्वारा अपने पत्रांक-2121नि0/ 882(54)आर-मे0क्षे0 (बु0शहर)/2020 दिनांक 30.05.2020 द्वारा विषयक आउटलेट निर्माण की अनुमति उ0प्र0 सरकार के शा0सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.19 में दी गई गाईड लाईनों एवं शर्तो के अनुसार प्रदान की है। उक्त के क्रम आउटलेट निर्माण हेतु निम्न मुख्य प्रतिबन्ध व शर्ते लागू होगी।

1. मै0 भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ को यूपी रोड साईड लेण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत सिकन्द्राबाद आबादी भाग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 5.00 (चैनेज 4.800) में गाटा सं0 1233 में स्थित ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में रिटेल आउटलेट मार्ग की मध्य रेखा से बांयी ओर 55 फीट की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. मै0 भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्सर-I,II,III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुए स्थापित करेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्सर-I,II,III में वर्णित कोई भी शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. बफर स्ट्रिप का निर्माण शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.19 द्वारा जारी नियमावली-2019 के मानको के अनुसार होनी चाहिये।
4. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में 150 एम0एम0 जी0एस0बी0, डब्लू0बी0एम0 250एम0एम0, 50 एम0एम0 डी0बी0एम0 तथा 30 एम0एम0 बी0सी0 का न्यूनतम पेवमेन्ट कम्पोजीशन होना चाहिये।
5. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में स्लैब कलवर्ट बनायी जायेगी, जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुँच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के द्वारा डिस्पोजल किया जा सकें।
6. मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिये।
7. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साईज शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 के अनुसार होना चाहिये।
8. रिटेल आउटलेट पेंटेड एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेबिल से 0.30 मीटर नीचे होना चाहिये।
9. रिटेल आउटलेट एवं नाली का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्लू0 एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिये तथा निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
10. रिटेल आउटलेट स्थापित करने में शासन के पत्रांक 1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग

E.S.K. Rathor A4 Daily Petrolpump (19)

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)

05/08/2020

एम. ब्रहमा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
एम. ब्रहमा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

05/8/2020

का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति-प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

13. मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्ही भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. इस प्रकार की कोई भी स्थायी अथवा अस्थाई संरचना नहीं कि जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घाट्ना का कारण बने।

15. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख-रखाव मै0 भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मेरठ उ0प्र0 के डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

16. पैट्रोल पम्प पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रख-रखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

17. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलबध करायी जाये।

18. एनेक्सर-III के बिन्दू-4/14 में वर्णित शर्त के अनुपालन में आवेदक द्वारा One Time Licence के रूप में रू0 200000/- (दो लाख रूपये मात्र), भारतीय स्टैट बैंक के डी0डी0 सं0-298321 दिनांक 15.06.2020 की धनराशि तथा प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू0 10000/-(दस हजार रूपये मात्र) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर के खाते में पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु जमा करायी जा चुकी है।

19. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्षो के लिए ही मान्य होगा तथा उसका नवीनीकरण शासन के पत्रांक-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी नियमावली-2019 में दिये गये आदेशानुसार करना होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, तो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नकः प्रकरण मूल में एवं उक्त सन्दर्भित पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

(इं0 राधेश्याम शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बुलन्दशहर

पत्रांक 1045 / 7E — दिनांक : 08/07/20

प्रतिलिपिः- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अधीक्षण अभियन्ता, बुलन्दशहर वृत्त, लो0नि0वि0, बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सहायक अभियन्ता द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अवर अभियन्ता (प्रा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/20
(इं0 राधेश्याम शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
बुलन्दशहर

05/08/2020

...मार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ-250002 (उ0प्र0)

05/08/2020

एम. ब्रहमा (M. Brahma)
प्रबन्धक अभियांत्रिकी (रिटेल)
मेरठ रिटेल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ (उ0प्र0)

EAK Rathor A4 Daily Petrolpump (20)

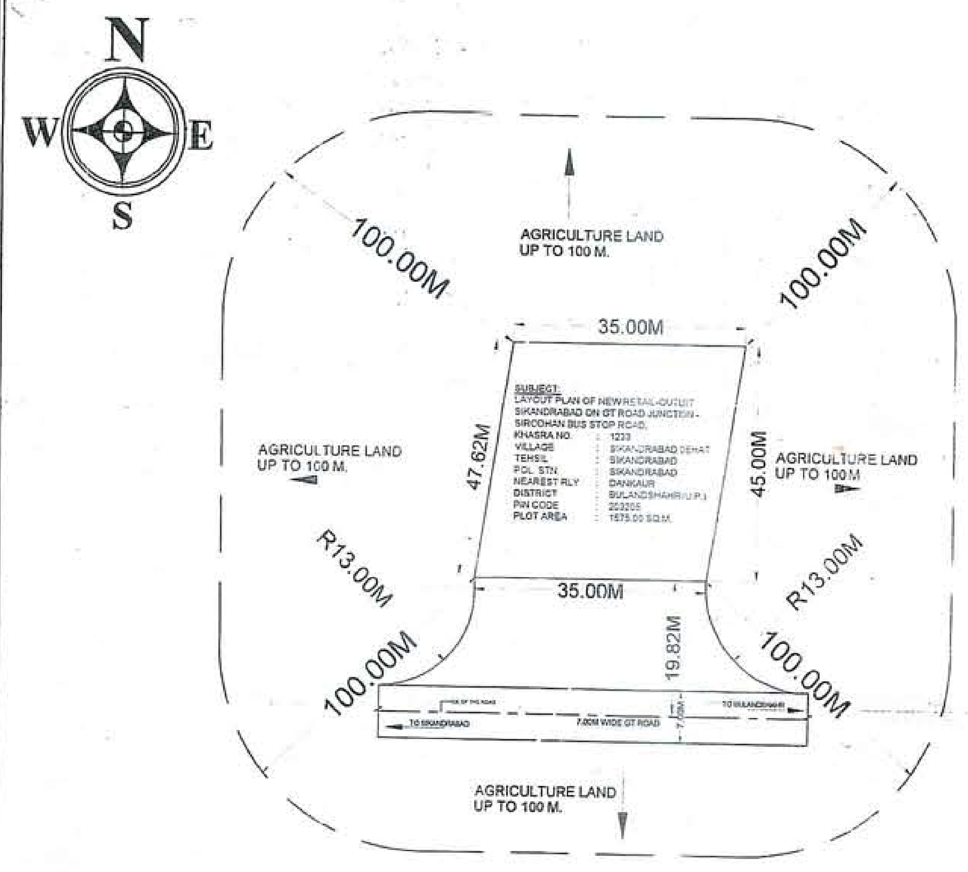

SITE PLAN

SCALE 1:200

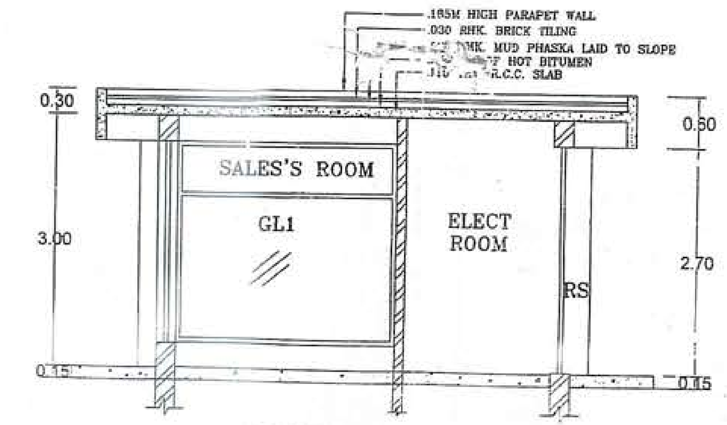

SECTION ON B-B

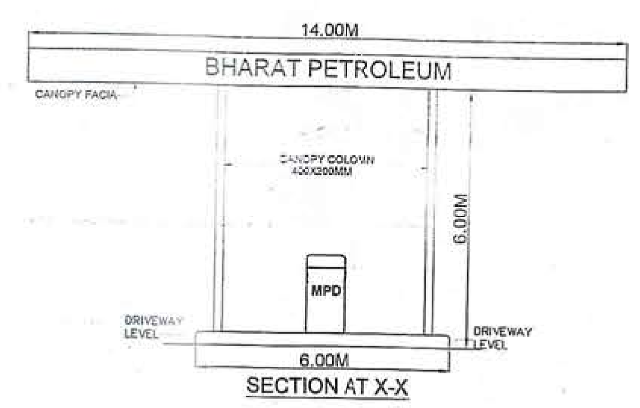

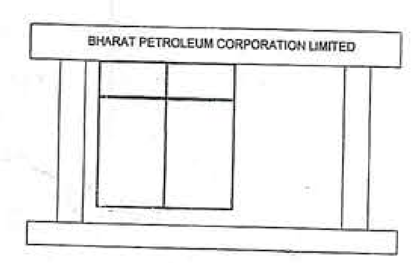

FRONT ELEVATION OF SALES BUILDING

SCALE 1:100

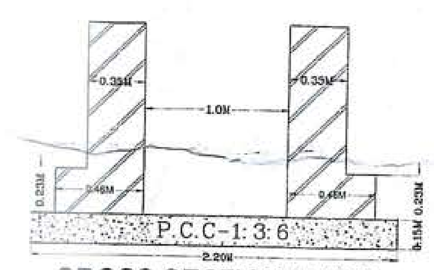

CROSS SECTION "A"-"B" OF OPEN DRAIN

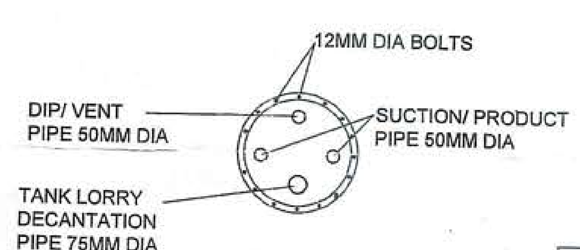

TOP VIEW OF TANK MANHOLE

(NOT TO SCALE)

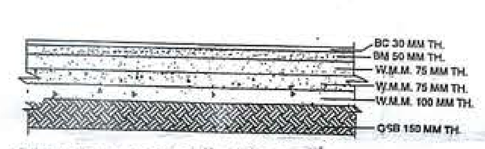

DETAIL SECTION OF APPROACH ROAD

AS PER IRC:SP63

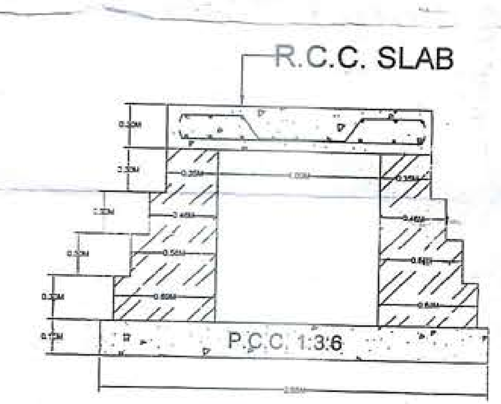

DETAIL OF R.C.C. CULVERT NALA

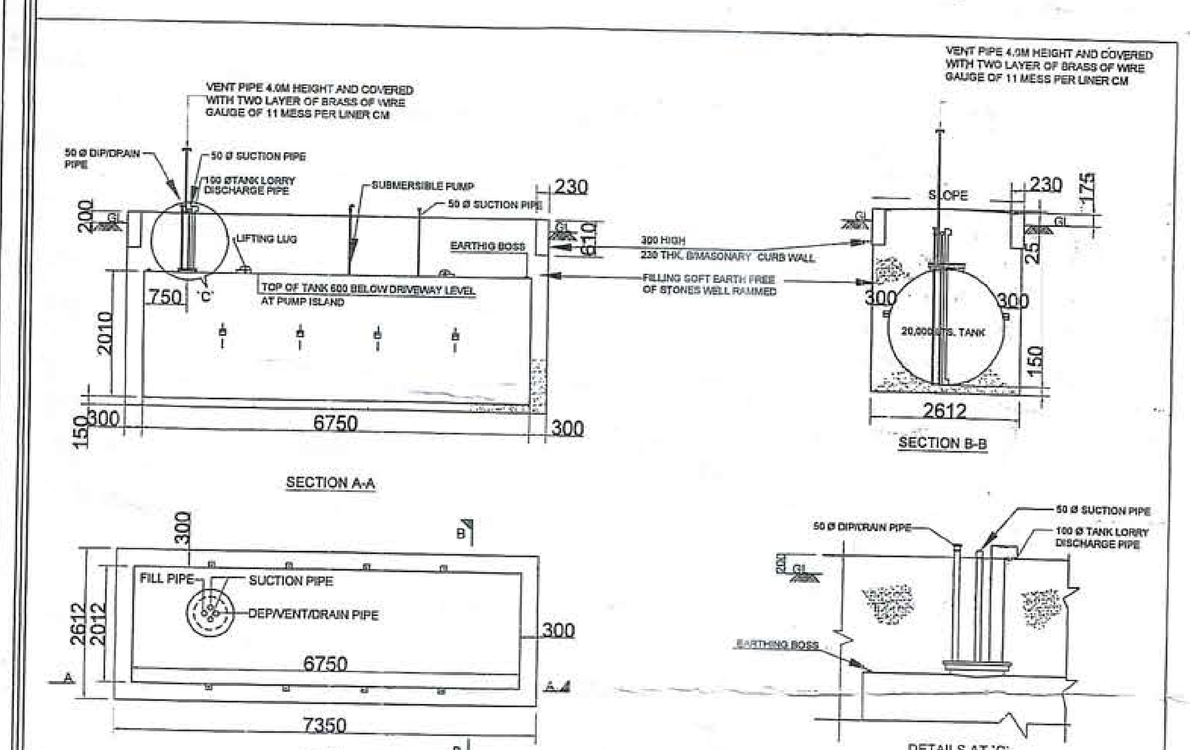

TANK IN EARTHEN PIT

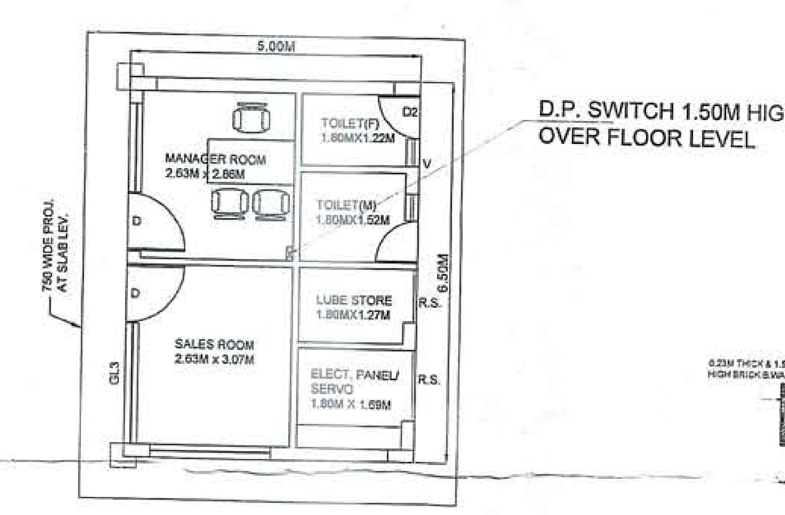

D.P. SWITCH 1.50M HIGH OVER FLOOR LEVEL

SALES BUILDING PLAN

SCALE 1:100

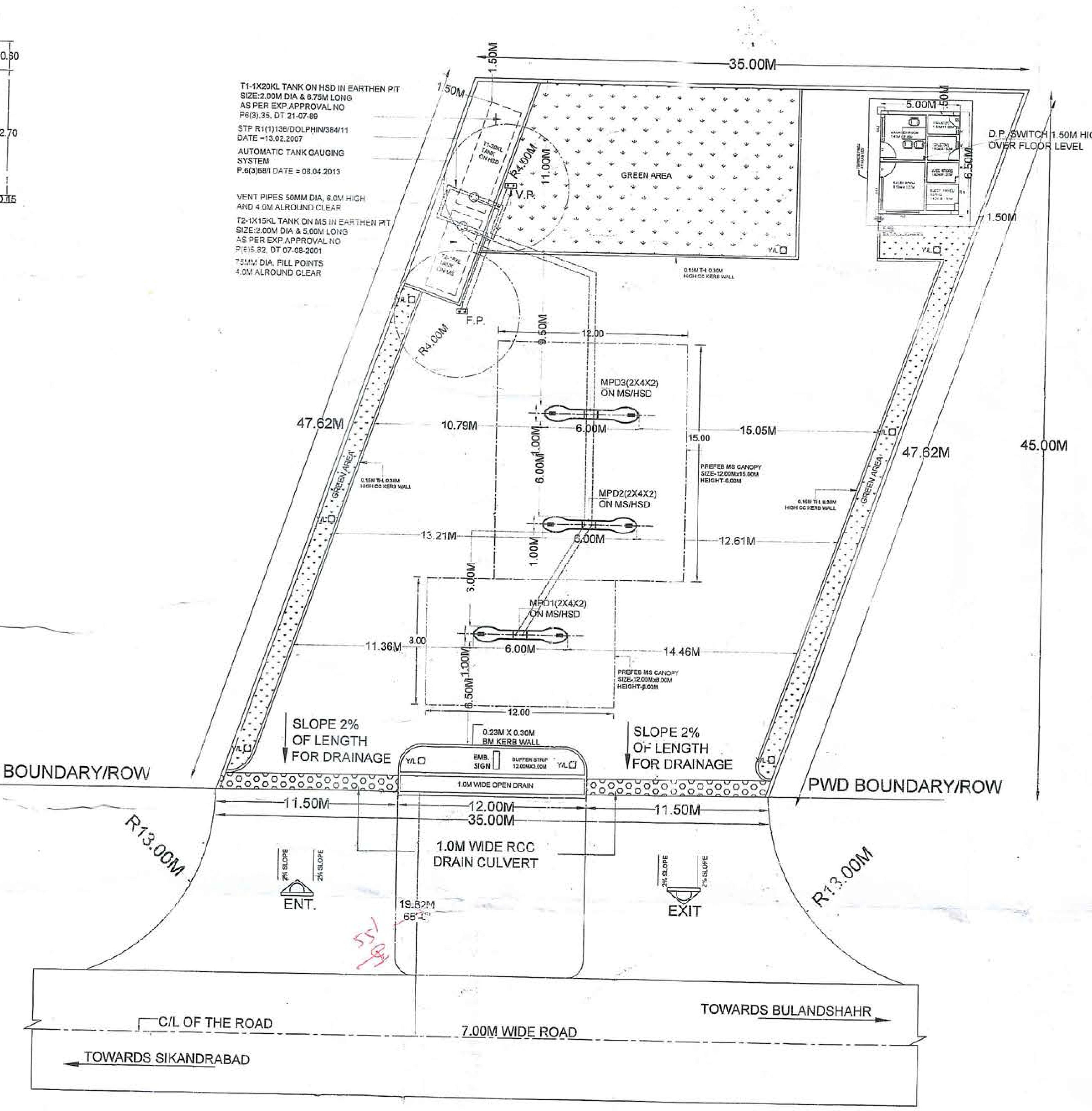

LAYOUT PLAN(1:200)

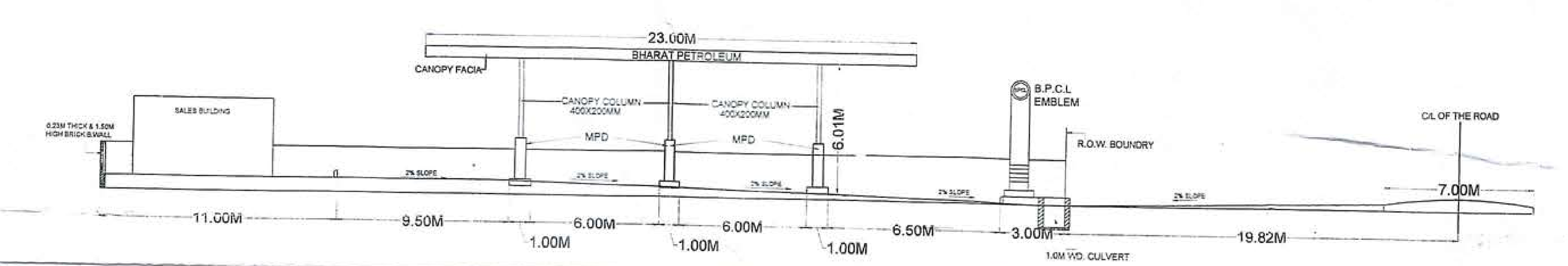

SECTIONAL ELEVATION OF LAYOUT PLAN(SCALE 1:200)

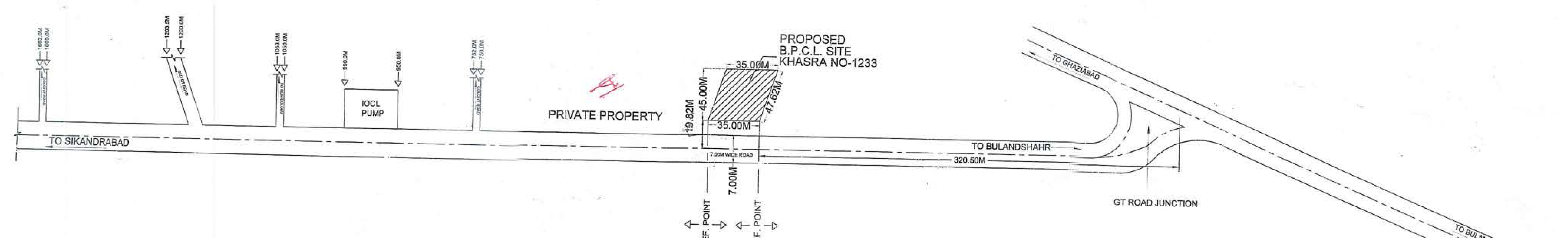

KEY PLAN (N.T.S.)

संलग्न शर्तें

लोक निर्माण विभाग के ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद आबादी भाग (अ०जि०मा०) पर स्थित है के कि०मी० 5.00 (चैनेज 4.800) में खसरा सं०-1233 ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में मार्ग के मध्य रेखा से बांयी ओर 50+5=55 फीट (16.76 मी०) की दूरी पर प्रस्तावित आउटलेट के निर्माण पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है:-

1. भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अबु का मकबरा, कसेर गंज, मेरठ (उ०प्र०) रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत सिकन्द्राबाद-आबादी भाग (अ०जि०मा०) मार्ग के कि०मी० 5.00 (चैनेज 4.800) में खसरा सं०-1233 ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में मार्ग के मध्य से 50+5=55 फीट के बाद बांयी ओर (Left Hand Side) स्थापित किया जायेगा।
2. भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेरठ (उ०प्र०) प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्सर-I, II एवं III में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करते हुये स्थापित करेगी। उनके द्वारा परिएनेक्सर-I,II एवं III में वर्णित कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. बफर स्ट्रिप का निर्माण आई०आर०सी० मानक के अनुसार कम से कम 3 मीटर चौड़ी एवं 12 मीटर लम्बाई में होनी चाहिए।
4. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में 150 एम०एम० जी०एस०बी०, 250 एम०एम० डब्लू०एम०एम०, 50 एम०एम० डी०बी०एम० व 30 एम०एम० बी०सी० का न्यूनतम पेवमेन्ट कम्पोजिशन होना चाहिए।
5. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग में स्लैब कल्वर्ट बनायी जायेगी जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट व पहुँच मार्ग पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के द्वारा डिस्पोजल किया जा सके।
6. मार्ग की 300 मीटर दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए।
7. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साईज 30 X 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।
8. रिटेल आउटलेट पेन्टिड एरिया का लेवल सड़क के पेन्टिड सतह के मध्य लेवल से 0.30 मीटर नीचे होना चाहिए।
9. रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थाई भूमि आर०ओ०डब्लू० एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिए एवं निर्माण सामग्री इसकी सीमा में एकत्रित न की जाये।
10. रिटेल आउटलेट स्थापित करने में शासनादेश सं०-1882/23-12-19-1365/17टीसी० लो०नि० अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 में दिये गये निर्देशो का अनुपालन अनिवार्य होगा।
11. भूमि के स्वामी का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
12. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है तो एसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझी जायेगा।
13. मानचित्र में दर्शाए गए प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किसी भी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. इस प्रकार की कोई भी स्थाई व अस्थाई संरचना नहीं की जायेगी, जो सुलभ यातायात में बाधा हो एवं दुर्घटना का कारण बने।
15. रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रखरखाव मैसर्स भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड में आउटलेट की डीलर द्वारा स्वंय के व्यय पर करना होगा।
16. पैट्रोल पम्प के परिसर में पीने के लिये ठंडा पानी तथा स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
17. एनेक्सर-III के बिन्दु 4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार एक मुश्त रू० दो लाख की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि० बुलन्दशहर के खाते में पैट्रोल पम्प की स्थापना से पूर्व जमा करायी जायेगी। उपरोक्त धनराशि जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैध होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नि० खं०-2, लो० नि० वि०
बुलन्दशहर

NOTES:

1. VENT PIPE 4.00M HIGH END COVERED WITH TWO LAYERS OF BRASS WIRE GAUGE 11 MESH PER LINEAR CENTIMETER.
2. FILL POINTS FITTED WITH CAM LOCK COUPLING &AIR TIGHT THREADED BRASS CAP FOR DECANTING FROM TANK LORRY.
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRICAL FITTINGS ARE F.P. CATEGORY TO I.S:2148.
5. ALL DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUT WARD.
6. NO SEWER OR SURFACE DRAIN WITHIN 6.0M OF THE U/G TANK AND D/U.
7. PREMISES TO BE USED ONLY STORAGE OF PETROLEUM PRODUCT.
8. TANKS ARE PAINTED WITH TWO LAYERS OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED OXIDE PRIMER TO PROTECT AGAINST CORROSION.
9. FABRICATION DESIGN OF U/G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO I.S:10987:1992 AS PER C.C.O.E. NAGPUR ORDER NO. G-40(CC)/P/MISC/94 DT-.24.02.99
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MM UNLESS OTHERWISE NOTED.
11. S.B.=SAND BUCKET 6NOS.AS PER EXPLOSIVE RULE.
12. F.E.=FIRE EXTINGUISHERS 4NOS.AS PER EXPLOSIVE RULE.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRAULIC PRESSURE TEST PRIOR TO INSTALLATION AND BEFORE ANY PROTECTIVE COATING IS APPLIED. THE TEST SHOULD BE MAINTAINED AS A CONTROLLED PRESSURE OF .36 KG/SQ.CM. FOR 2 HOURS.
14. DIP RODS SUPPLIED WITH THE TANK FOR THE TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280MM LONG INSTEAD OF 2350MM.
15. FABRICATION THICKNESS OF SHELL PLATE AND END PLATE OF TANK 20LK SHELL -6MM END -8MM
16. TANKS CONFORM TO 124,125 &131 OF THE PR-2002.
17. ALL LIGHT POLES ARE FITTED AS PER APPROVAL OF C.C.E. NAGPUR VIDE LETTER NO.PL-111(MBI) DT. 26-11-1963.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE METALLED ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MAINTAINED FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITE MEETS APPLICABLE IRC1983 NORMS LATEST AMENDMENTS.
20. E.V.=EXTENDED VENT PIPES
21. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO CASE IS PENDING IN ANY COUNT OF LAW.
22. THERE IS NO OVERHEAD H.T. LINE PASSES THROUGH THE PLOT.
23. DRAWING PREPARED AS PER MORT AND HIGHWAY GUIDE LINES (LETTER NO. RW/NH-33023/ 19/ 99-DO. III DATED 17.10.2003) FIG. 5
24. **APPLICABLE I.R.C. NORMS ARE MET.**

PUMP DETAIL

S.NO.	PRODUCT	CLASS	CONNECT TO TANK
MPD-1 (2X4X2)	MS/HSD	A / B	T-1 & T-2
MPD-2 (2X4X2)	MS/HSD	A / B	T-1 & T-2
MPD-3 (2X4X2)	MS/HSD	A / B	T-1 & T-2

TANK TABLE:

S.NO.	PRODUCT	CAPACITY	LENGTH(M)	DIA(M)	REMARKS
T-1	HSD	20KL	6.75	2.00	IN EARTHEN PIT
T-2	MS	15KL	5.00	2.00	IN EARTHEN PIT

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN MILIMETERS & METER UNLESS OTHERWISE NOTED.

Bharat Petroleum Corporation Limited

SCALE : AS SHOWN	NORTH :
DATE:- 06/02/2020	
DWG NO:- BPC/1648	

SUBJECT:

~~LAYOUT PLAN OF NEW RETAIL-OUTLET~~
SIKANDRABAD ON GT ROAD JUNCTION - SIRODHAN BUS STOP ROAD.

KHASRA NO.	:	1233
VILLAGE	:	SIKANDRABAD DEHAT
TEHSIL	:	SIKANDRABAD
POL. STN.	:	SIKANDRABAD
NEAREST RLY	:	DANKAUR
DISTRICT	:	BULANDSHAHR (U.P.)
PIN CODE	:	203205
PLOT AREA	:	1575.00 SQ.M.

कुमार अविनाश
क्षेत्रीय प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

PREPARED BY:
MANAGER (Engg.)
B.P.C.L., Meerut.